

अभिनव परिवर्तन—अवसर की चुनौतियां

पी.एन. भंडारी, आई.ए.एस.

पिछले तीन दशकों से अधिक राजकीय सेवा में मैंने विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आरंभ से ही मेरी अभिरुचि पुरानी समस्याओं के नये हल खोजने में रही है। मेरी अवधारणा एवं विश्वास है कि प्रशासन तंत्र इतना जटिल नहीं है कि उसमें नये-नये सुधार एवं परिवर्तन किये ही नहीं जा सकें। अतः मैंने हर पद पर सेवा के दौरान यह देखने, सोचने, समझने का प्रयत्न किया कि लीक से हटकर भी ऐसे क्या प्रशासनिक उपाय किये जा सकते हैं जिससे समय व संसाधनों की बचत हो तथा जनता व सरकार का व्यापक हित संवर्धित हो सके। ऐसे बहुत से अनुभव हुए हैं जिन्होंने मुझे प्रशासनिक अन्तर्दृष्टि दी तथा जिनसे मुझे अतीव संतोष की प्राप्ति हुई।

हमारी सामाजिक सोच मुख्य रूप से यथास्थिति की है तथा हमारा प्रशासन भी हमारे समाज का ही प्रतिबिंब है। 'लालफीताशाही', एक प्रकार से 'यथास्थिति' का ही दूसरा नाम है। मेरी सदैव यह मान्यता रही है कि जो नियम एवं प्रक्रियाएं वर्षों पूर्व निर्धारित हुई हैं उनका संदर्भ बदलता रहता है, एवं समय-समय पर उनकी सार्थकता में परिवर्तन आता रहता है। अतः उन नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा भी समय-समय पर उसी रूप में करनी चाहिए। दुर्भाग्य से हमारा प्रशासन तंत्र एक प्रकार से 'बाबूराज' में सीमाबद्ध हो जाता है जहां तथाकथित प्रक्रियाओं में वरिष्ठ अधिकारी भी उसी प्रकार से जकड़ा अनुभव करते हैं जैसा कि प्रशासन का कनिष्ठतम कर्मचारी। यदि वरिष्ठतम अधिकारी भी ठीक उसी प्रकार फैसले करेगा जैसा

मूलप्रश्न : अप्रैल-जून 1997 / 50

कि कनिष्ठ लिपिक तो फिर ऐसे भारी भरकम प्रशासन तंत्र व इतने वरिष्ठ अधिकारियों की क्या आवश्यकता है। मैंने नियमों और प्रक्रियाओं की सदैव नये संदर्भ में व्याख्या करने की चेष्टा की है और मुझे इसमें मुख्य रूप से न्यायालयों से प्रेरणा मिली है। 'जुडिशियल एक्टिविज्म' के अन्तर्गत न्यायालयों ने विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं को नये संदर्भ में परिभाषित किया है। संविधान निर्माताओं की संभवतः कभी यह मंशा नहीं थी कि एक गुमनाम पोस्टकार्ड को भी रिट का दर्जा दिया जा सकता है परन्तु हमारे कई माननीय न्यायधीशों ने इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सामाजिक न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कई महत्वपूर्ण नीति संबंधी विषयों पर न्यायपालिका में नये-नये प्रयोग किये गये हैं तथा हमारे पुराने कानूनों को मौजूदा आवश्यकताओं के संदर्भ में ढालने की चेष्टा की है। जिस प्रकार न्यायालयों में ऐसे प्रयोग हुए हैं वैसे ही प्रयास प्रशासन में भी किये जा सकते हैं और मैंने समय-समय पर इस संबंध में कदम उठाये हैं।

व्यापक हित में उन अप्रासंगिक नियमों को तोड़ने मरोड़ने में मुझे कभी संकोच नहीं हुआ बल्कि यों कहिये कि उस प्रकार की नई व्याख्या को, अन्ततोगत्वा व्यापक समर्थन मिला है। जिला कलैक्टर की हैसियत से मैंने कई जिलों में उत्तरदायी ऋण वितरण शिविरों का आयोजन किया और कूपकों की सुविधा के लिए समस्त भुगतान बैंक में नहीं कर मौके पर करने का अभिनव प्रयोग किया। बैंकों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया में बैंकों के बाहर भुगतान करना एक बहुत ही गंभीर मामला माना जाता था और मुझे स्मरण है कि जब मैं उदयपुर में कलैक्टर था तब इस प्रक्रिया की शिकायत रिजर्व बैंक में भी की गई और रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर जांच करने के लिए विशेष रूप से उदयपुर आये, परन्तु उन्होंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा और सुना, उससे इस शीर्ष बैंक के विचारों में भी परिवर्तन आया। उन्होंने यह अनुभव किया कि बिचौलियों को हटाने के लिए तथा लालफीताशाही को समाप्त करने के लिए इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता था। योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री बी. शिवरमन जो पूर्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव भी रहे, ने हमारे इन शिविरों

का निरीक्षण किया और उससे वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इस प्रकार के शिविर आयोजित करने की सलाह दी। उनकी सलाह पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने ऐसे शिविरों की प्रक्रिया को अन्य राज्यों में प्रसारित करने के लिए एक वृत्तचित्र का भी निर्माण किया।

उदयपुर विश्वविद्यालय में मैं चार वर्ष तक कुलपति रहा। यह मेरे लिए बिल्कुल नया था परन्तु मैंने प्रायः यह अनुभव किया है कि कई बार जो क्षेत्र बिल्कुल नये होते हैं उनमें लीक से हटकर नये प्रयोग करने का अच्छा अवसर मिलता है। सारे देश में कृषि विद्यालयों में जिनमें उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय भी एक था, परीक्षा के लिए आन्तरिक मूल्यांकन प्रणाली चल रही थी। मेरा यह अनुमान था कि सामान्य विश्वविद्यालय में इस प्रकार की मूल्यांकन पद्धति सफल नहीं हो सकती क्योंकि जिस प्रकार से हर स्तर पर हमारे समाज और प्रशासन में अनुचित दबाव व प्रलोभन के मामले देखने को मिलते हैं, उनके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के प्राध्यापक खुलकर कार्य नहीं कर सकते। चाकू की नोक पर प्रायः विद्यार्थी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल हो रहे थे। विद्यार्थियों ने प्राध्यापकों को आतंकित कर अच्छी से अच्छी श्रेणी प्राप्त करने की व्यूह रचना बना रखी थी और उसमें वे निरन्तर सफल हो रहे थे। विश्वविद्यालय में इस वजह से वातावरण काफी दूषित हो गया था तथा कई बार प्राध्यापकों के साथ मारपीट की घटनाएं भी हो गई थीं। हमने ज्यों ही बाहरी मूल्यांकन की व्यवस्था की उससे व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हुआ। विद्यार्थी पढ़ने में अधिक से अधिक समय देने लगे तथा प्राध्यापकों को आतंकित करने का कोई औचित्य विद्यार्थियों के पास नहीं बचा। वे इसके बजाय प्राध्यापकों से परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक से अधिक सहयोग लेने लग गये इससे न केवल शैक्षणिक रूप से सुधार हुआ अपितु विश्वविद्यालय का सारा वातावरण जो लंबे समय से विकृत था और जिसके अन्तर्गत न केवल प्राध्यापक अपितु कई कुलपति भी मारपीट के शिकार हो चुके थे, उस वातावरण में त्वरित सुधार हुआ।

मेरे विश्वविद्यालय में कार्य ग्रहण करने से पहले परीक्षाओं में प्रतिवर्ष औसतन 57 'वाकआउट्स' होते थे। वाकआउट्स के तत्काल बाद विद्यार्थी टूक भरकर कुलपति के कार्यालय अथवा निवास पहुंच जाते थे तथा उनको पुनः परीक्षा की तिथि घोषित करने के लिए बाध्य करते थे। उन परिस्थितियों में चाहे कुलपति कितना ही सशक्त क्यों न हो, उसके पास पुनः परीक्षा कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। बार-बार परीक्षाओं में वाकआउट्स होने से प्रायः परीक्षा परिणाम काफी विलंबित हो जाते तथा उदयपुर विश्वविद्यालय से डिग्री मिलने में काफी समय नष्ट हो जाता। फलस्वरूप हमारे विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं आदि में काफी पिछड़ जाते थे। सामान्य विद्यार्थी एवं उनके माता-पिता इन वाक आउट्स से परेशान थे लेकिन वे अपने आपको असहाय महसूस करते थे। मैंने तत्कालीन राज्यपाल महोदय से विचार विमर्श कर पुनः परीक्षा कराने के अधिकार को उनके पास रखने का प्रस्ताव रखा जो उन्होंने स्वीकार कर लिया। परीक्षा की तिथि घोषित करने के साथ ही हमने यह भी प्रसारित कर दिया था कि वाकआउट की स्थिति में पुनः परीक्षा तिथि निर्धारण के लिए संबंधित विद्यार्थी महामहिम राज्यपाल महोदय से ही सम्पर्क करें और उन्हीं के निर्णय से पुनः परीक्षा हो सकेगी। जहां बेचारे कुलपति इस प्रकार से मामलों में पहले पूर्णतया असहाय हुआ करते थे वहीं अब विद्यार्थी राज्यपाल महोदय से जाकर पुनः परीक्षा तिथि निर्धारण के लिए जोर देने की बात सोच भी नहीं सकते थे। इस निर्णय के पश्चात् जो विद्यार्थी वाकआउट करते थे उन्हें यह भी अहसास हो गया कि परीक्षा वापस नहीं होगी अतः उन्हें एक वर्ष पिछड़ना पड़ेगा। इसका सुखद परिणाम यह हुआ कि विश्वविद्यालय में वाकआउट होना बंद हो गया।

प्रमुख शासन सचिव, राजस्व की हैसियत से मैंने यह अनुभव किया कि राजस्व मण्डल का कार्य निरन्तर गिरता जा रहा था। जिन अधिकारियों को अजमेर स्थित राजस्व मण्डल का सदस्य नियुक्त किया जाता था वे प्रायः राज्य सरकार की नाराजगी के प्रतीक माने जाते थे और संभवतया ऐसे पदस्थापन से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी गिरावट आती थी। तथाकथित

नाराजगी से भेजे गये ऐसे अधिकारियों का 'आउटपुट' भी प्रायः काफी निराशाजनक रहता था। उन्हें यह भी अहसास होता था कि राज्य सरकार जब नाराज ही हो गई है तो इससे खराब जगह पर कहां लगायेगी। जब मैं यह बात कह रहा हूँ तब मुझे अहसास है कि यह सोच सभी पदस्थापित अधिकारियों का नहीं था तथा श्री टी. वी. रमणन, श्री एम. एल. मेहता, श्री अरुण कुमार आदि ऐसे कई अधिकारी थे जिन्होंने इन पदों पर भी उतनी ही लगन से कार्य किया जैसी लगन से अन्य पदों पर। परंतु इन अपवादों के बावजूद भी मेरी यह स्पष्ट मान्यता थी कि इस व्यवस्था में यदि सुधार नहीं किया जाता है तो राज्य के लाखों कृषकों के विवादों में होने वाले विलंब से उन्हें छुटकारा नहीं मिल सकेगा। अतः हमने एक प्रस्ताव बनाया जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के सलैक्शन स्केल अधिकारियों को स्वैच्छिक रूप से राजस्व मण्डल का सदस्य बनने के लिये प्रार्थना पत्र मंगवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा उनका चयन करने का निर्णय लिया गया। चयन के साथ ही उन्हें सलैक्शन स्केल से सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति का निर्णय लिया गया। साथ ही उन्हें आई. ए. एस. से इस्तीफा देने का भी प्रावधान रखा गया ताकि चयन होते ही उन्हें यह अहसास हो जाए कि अब उन्हें सेवानिवृत्ति तक इस पद पर रहना है तथा बार-बार वहां से पुनः अन्यत्र पदस्थापित करवाने के प्रयास करना बेकार है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि अच्छे कार्य करने वाले ऐसे राजस्व मण्डल के सदस्यों के कार्यकाल में दो वर्ष की वृद्धि भी दी जा सकेगी। यह व्यवस्था बहुत ही सफल हुई तथा जो सदस्य इस योजना के अन्तर्गत चयनित हुए उनके कार्य का निपटारा सामान्य सदस्यों के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ गया तथा राजस्व मण्डल में पदस्थापित होने पर वहां से वापस शासन सचिवालय में लौटने की भागदौड़ में जो श्रम और शक्ति लगती है वह 'ऊर्जा' उन्होंने वर्षों पुराने लंबित विवादों को निपटारे लगाई।

मुझे जानकारी मिली कि सैटलमेन्ट अधिकारियों के पास प्रायः कार्य कम था तथा उनकी सेवाओं का पूरा उपयोग नहीं हो रहा था यद्यपि उन्हें वाहन की सुविधा प्राप्त थी। दूसरी ओर, 'रेवेन्यू

अपीलेट अथॉरिटी' जो उनके समकक्ष अधिकारी होते थे उनके पास कार्य बहुत अधिक था तथा वाहन आदि नहीं होने से दौरों में भी दूर-दूर न्यायालयों की पत्रावलियां लेकर बसों में जाना पड़ता था। एक निर्णय द्वारा हमने सभी सैटलमेंट अधिकारियों को भी रेवेन्यू अपीलेट अधिकारियों के अधिकार दे दिये। इसके फलस्वरूप बिना किसी अतिरिक्त व्यय के एक ही चरण में, राज्य में कार्यरत रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी की संख्या सैटलमेंट अधिकारियों की संख्या को मिलाकर दो गुनी हो गई। उनके कार्य का विभाजन भी इस प्रकार कर दिया कि मुख्यालय के जिले रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी को दे दिये गये ताकि उन्हें दौरे पर नहीं जाना पड़े तथा अन्य जिले जहां पर कैम्प कोर्ट लगाने के निर्देश दिये उन्हें सैटलमेंट अधिकारी-कम-रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी को दे दिये जहां वे अपने वाहन में उन जिलों में जा सकते थे। प्रारंभ में कोई भी व्यवस्था जब चालू की जाती है तब विरोध होता है तथा कठिनाई आती है और इस योजना में भी ऐसा ही हुआ। संभागीय मुख्यालय के अभिभाषकों ने इसका विरोध किया क्योंकि कैम्प कोर्ट लगाने से कार्य का विकेंद्रीकरण हो गया तथा जहां कई जिलों के मामलों की सुनवाई एक संभागीय मुख्यालय पर होती थी वहीं अब जिले जिले में सुनवाई होने लगी। उन जिलों के अभिभाषकों को, इस विकेंद्रीकरण की योजना के अन्तर्गत कार्य मिलने लगा तथा उन्होंने इस योजना का स्वागत किया। रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी के यहां मामलों की संख्या में विशेष कमी आई तथा कृषकों को भी दूर-दूर जाने की बजाय उनके जिलों में ही न्यायिक सुविधा मिल गई।

वाणिज्यिक कर विभाग में मैंने यह अनुभव किया कि लोग प्रायः बिक्री कर न्यायाधिकरण से स्थगन लेकर लंबे समय तक मामलों को लंबित कर देते थे जिससे हमारी लाखों करोड़ों रुपये की वसूलियां रूक जाती थीं। हमने नियमों में यह संशोधन करवाया कि कोई भी स्थगन प्रथम चरण में तीन माह से अधिक समय के लिये नहीं दिया जा सकेगा। और इस प्रक्रिया में यह व्यवस्था रखी गई एक वर्ष से अधिक कोई भी स्थगन लागू नहीं रहेगा। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि अनावश्यक रूप से स्थगन लेकर मामलों को लंबा करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा

तथा अभिभाषक एवं करदाता यह अनुभव करने लगे कि स्थगन लेने के बाद तो मामले को विलंबित करने की बजाय और तेज गति से निपटारा होगा। फलस्वरूप अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगा। मैंने इस संबंध में कई न्यायाधीशों से भी चर्चा की तथा उनकी भी यह मान्यता रही कि यदि इस प्रकार के सीमित समय के स्थगन आदि दिये जाते हैं तो अनावश्यक विलंब करने के लिये न्यायालयों में जो विवाद दायर किये जाते हैं उन पर अंकुश लग सकता है तथा ऐसे लाखों अनावश्यक तथा आधार हीन विवाद जो न्यायालयों में चल रहे हैं वे न केवल निपट जायेंगे अपितु भविष्य में दायर होना बंद हो जायेंगे।

जयपुर विकास प्राधिकरण में एक पेचीदा मामले में मैंने 12 करोड़ की उलझी हुई भूखण्ड नीलामी की राशि की किश्तें कर दी और वह पूरी राशि वसूल हो गई। किश्तों में ब्याज की दर भी जयपुर विकास प्राधिकरण की निर्धारित दर से 3 प्रतिशत अधिक लगाई परन्तु फिर भी मुझसे पूछा गया कि किस नियम के अंतर्गत किश्तें की गईं। यह हमारे 'बाबूराज' का ज्वलन्त उदाहरण है कि यदि मैं किश्तें नहीं करता और यह राशि वर्षों तक विवाद में पड़ जाती और अंत में डूब जाती तो मुझसे कोई प्रश्न नहीं करता परन्तु लीक से हटकर, चूंकि मैंने किश्तें कर दीं, अतः यह आचरण का गंभीर प्रश्न बन गया। उल्लेखनीय है कि खासा कोठी के पास हेलिग के बंगले की व हिंद होटल की करोड़ों की भूमि इसी 'बाबूराज' के सोच के कारण उलझी पड़ी है।

हाल ही में सेवानिवृत्त मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन ने लीक से हटकर, निर्वाचन कानून को नये सिरे से देखा और सारे देश में एक प्रकार से क्रान्ति ला दी। भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायपालिका की भूमिका बहुत सीमित थी तथा वे कागजी न्याय से संतुष्ट हो जाते थे। परन्तु अब सर्वोच्च न्यायालय ने लीक से हटकर पुराने कानूनों की नई व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया है तथा कोर्ट्स आफ ला की बजाय कोर्ट्स आफ जस्टिस बन गये हैं— इसका सारे देश की जनता ने हार्दिक स्वागत किया है। कोई भी देश और समाज जो आगे बढ़ना चाहता है वह स्थिर

नियमों और प्रक्रियाओं से आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे कानूनों में प्रायः अतीत का संदर्भ है— इनमें हमें निरन्तर नये संदर्भ ढूँढने पड़ेंगे एवं जड़ता समाप्त करनी होगी।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में भी हमने परंपरा से हटकर कई योजनाएं बनाई हैं। हमारे कृषि कनेक्शन्स के लिए विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की संख्या करीब ढाई लाख है। प्रतिवर्ष 25 हजार कनेक्शन दिये जाते हैं तथा 35 हजार नये प्रार्थना पत्र आ जाते हैं। औसतन प्रार्थना पत्र देने की तिथि से कनेक्शन मिलने में 12-13 वर्ष का समय लगता है। इतनी लंबी अवधि तक धैर्य रखना एक कठिन कार्य है अतः समय पर बिजली नहीं मिलने के कारण लोग बिजली चोरी करने लग जाते हैं। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के बावजूद हमने यह अनुभव किया कि ऐसे लोगों को यदि हाथोंहाथ कनेक्शन मिल जाता है तो बिजली चोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और उस दृष्टि से नर्सरी योजना प्रारंभ की गई जिसमें औसतन तीन से चार माह में ही कनेक्शन मिल जाता है। इन कृषकों से हमने प्रारंभिक राशि जो सामान्य श्रेणी के कृषकों से ली जाती है उससे अधिक ली तथा प्रति यूनिट की दर भी 50 पैसे की बजाय 1 रुपये 40 पैसे लेते हैं। इस योजना पर राज्य सरकार के स्तर पर काफी बहस चली तथा एक बार तो विधानसभा में इसको राज्य सरकार द्वारा निरस्त करने की घोषणा करनी पड़ी परन्तु तब तक कृषकों का इस योजना के प्रति रुझान अत्यधिक बढ़ चला था। अतः नर्सरी योजना को समाप्त करने के समाचार मिलते ही उन्होंने पक्ष/विपक्ष के माननीय विधायकों से सघन संपर्क किया और इस योजना की समाप्ति की घोषणा के 48 घंटे के बाद ही विधानसभा में पुनः चर्चा हुई तथा यह अनुभव किया गया कि यह योजना महंगी होते हुए भी कृषकों के लिए सस्ती है क्योंकि डीजल आदि से सिंचाई इससे कई गुना अधिक महंगी थी। यह भी अनुभव किया गया कि यह योजना पूर्णतया स्वैच्छिक है, तथा जो कृषक स्वयं योजना को स्वीकार करते हैं तो दूसरों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह भी अनुभव किया गया कि जिन सक्षम कृषकों से यह अतिरिक्त राशि इस योजना के अन्तर्गत ली जाएगी उस राशि का उपयोग अन्य गरीब कृषकों को कनेक्शन देने के लिए

व्यय किया जायेगा। कुल मिलाकर यह योजना अब चल पड़ी है तथा इस योजना की सफलता से विश्व बैंक तथा भारत के योजना आयोग को भी सुखद आश्चर्य हुआ है। पिछले कई दशकों का कृषकों को अत्यंत सस्ती बिजली दरें रखने में हमारे जनप्रतिनिधियों का एक सोच रहा है कि कृषकों पर किसी भी प्रकार से अतिरिक्त भार नहीं डालना चाहिए तथा ऐसा कोई भी कदम कृषकों को आन्दोलन के लिए बाध्य करेगा। परन्तु इस योजना ने वर्षों के देशव्यापी मियक को निर्मूल कर दिया है तथा कृषकों ने यह महसूस किया है कि विद्युत दरों की बढ़ोतरी का प्रश्न गौण है। वास्तव में कृषकों को विद्युत सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है। कृषि नीति के बारे में यह सोच अब अन्य राज्यों में तेज गति से फैल रहा है और यदि ऐसा होता है तो इससे देश के अधिकांश विद्युत मण्डल जो कि कंगाली के कगार पर खड़े हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति हर रोज बिगड़ती जा रही है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन होगा तथा विद्युत मण्डल अपने पांव पर खड़े होने की स्थिति में होंगे। आज विद्युत मण्डलों की व्यवस्थाओं से कृषक सर्वाधिक परेशान रहते हैं लेकिन कल जबकि विद्युत मण्डल आर्थिक दृष्टि से सक्षम होंगे तो उसका सबसे अधिक लाभ भी कृषकों को ही मिलेगा।

सीकर जिले में मेरा कार्यकाल 9 माह से भी कम रहा लेकिन उसकी सुखद स्मृतियां मुझे हमेशा याद रहेंगी। वर्ष 1972 में राज्य भीषण अकाल की चपेट में था। सीकर जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में राहत का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित था तथा तालाबों की खुदाई का काम ही मुख्य रूप से होता था। मेरी यह मान्यता थी कि यह एक प्रकार का उत्पादन रहित कार्य है तथा जब तालाब भरते ही नहीं हैं तो उन्हें गहरा करने का कोई औचित्य नहीं है। हमें 50 हजार मजदूरों को अकाल राहत के अन्तर्गत कार्य देने के निर्देश मिले थे और तालाबों को शीघ्र गहरा कराने का कार्य प्रारंभ करने के आदेश मिले थे। मैंने जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर यह सुझाव दिया कि इस प्रकार के उत्पादनरहित कार्य पर लाखों रुपये खर्च करना उचित नहीं होगा तथा इसके बजाय कृषकों के कुएं खुदवाने का कार्य हाथ में लिया जाय तो उचित रहेगा।

जैसा कि सामान्य रूप से किसी भी नए प्रस्ताव का इश्वर होता है इस प्रस्ताव की भी हंसी उड़ाई गई और कई जनप्रतिनिधियों की भी यह मान्यता थी कि अकाल राहत योजना के अन्तर्गत निजी कुओं का कार्य नहीं किया जा सकेगा। मैंने उनसे काफी अनुनय विनय की तथा इसके लिए राज्य स्तर पर प्रयास करने के लिए उनसे अनुरोध किया। उनके प्रारंभिक प्रयास सफल नहीं हुए। परन्तु मैं उनसे निरन्तर इसके लिए अनुरोध करता रहा। अन्त में जनप्रतिनिधियों के स्तर पर इस प्रारंभिक तैयारी के पश्चात मैंने प्रशासनिक रूप से प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किया तथा स्वयं अकाल राहत सचिव से भेंट की तथा 4 हजार कुओं के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। वे मेरे पिताजी की उम्र के थे। उन्हें इस योजना की सफलता पर सन्देह था परन्तु मैंने जिस रूप में उनके समक्ष सारी योजना रखी, वे एक युवा अधिकारी को निरूत्साहित भी नहीं करना चाहते थे। अतः उन्होंने योजना को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दे दी तथा मुझे सलाह दी कि प्रथम चरण में एक हजार कुओं के लिए वे स्वीकृति देंगे। मैंने उनसे फिर अनुरोध किया कि ऊपर जाकर उसमें जो भी कटौती होती है तो हो जाये परन्तु उनके स्तर पर तो 4 हजार कुओं की ही स्वीकृति मिले तो उचित रहेगा। अन्त में वे मेरी बात टाल नहीं सके तथा हाथों हाथ उसी दिन उन्होंने स्वीकृति दे दी तथा मैं उस पत्रावली को स्वयं लेकर तत्कालीन अकाल राहत मंत्री महोदय की स्वीकृति के लिये ले गया। हमारे जिले के विधायकों को भी मैंने बता दिया था कि मैं इस पत्रावली को लेकर मंत्री महोदय के पास विधान सभा में जा रहा हूँ तथा हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी को भी अनुरोध किया कि वे भी उस समय इस योजना की स्वीकृति कराने के लिए अनुरोध करें तो उचित रहेगा। एक ही दिन में पत्रावली सभी स्तरों से निकल कर स्वीकृति के लिए मंत्री जी के पास पहुँच गई उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ। उनको भी इतनी बड़ी योजना एक साथ लेने में कुछ संकोच हो रहा था। परन्तु जिले के प्रायः सभी विधायकों की उपस्थिति में वे इस योजना में विशेष कटौती भी नहीं करना चाहते थे। अतः पूरी योजना स्वीकृत कर दी गई।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कुएँ पर मोटे रूप से 5 हजार

रुपये का व्यय होना था जिसमें 2500 रुपये की राशि मजदूरी की, अकाल राहत के अन्तर्गत दी जानी थी तथा 2500 रुपये का तकावी ऋण राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक कुएँ वाले को देना तय किया गया। अकाल राहत में सामान्यतया अशक्त व अनुत्पादक मजदूर लगाने की परम्परा रही है। जिनका आउटपुट बहुत ही कम होता था तथा फर्जी मस्टर रोल की भी काफी शिकायतें रहती थी। इस योजना में हमने यह व्यवस्था की कि अकाल राहत श्रमिकों का चयन जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया जाकर स्वयं कुएँ वालों द्वारा ही किया जाएगा तथा किसी भी परिवार से वह दो सदस्यों से अधिक श्रमिक नहीं ले सकेगा। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि अकाल राहत कार्यों में जहाँ अशक्त श्रमिक लगते थे वहाँ इसमें सक्षम श्रमिक लगे तथा उनका आउटपुट कई गुना अधिक हुआ। इसका दूसरा परिणाम यह हुआ कि राजकीय अधिकारियों के पर्यवेक्षण के बजाय स्वयं कुएँ वालों का पर्यवेक्षण रहा तथा 50 हजार श्रमिक अकाल राहत के अन्तर्गत लगाने के बावजूद भी पर्यवेक्षण के लिए अभियन्ताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों की नगण्य संख्या से काम चलाया गया। हमने यह भी अनुभव किया कि केवल कुओं के निर्माण से काम नहीं चलेगा- देर सबेर उन्हें कुओं पर पंपिंग सेट या बिजली की मोटर भी लगानी पड़ेगी और उसके लिये उन्हें बैंकों से ऋण की आवश्यकता होगी हमने हमारे जिले के लीड बैंक से सम्पर्क किया। लेकिन प्रारंभ में उन्होंने इसमें विशेष रुचि नहीं दिखाई। तब हमने दूसरे बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की और उनके सकारात्मक रूख की खबर अखबारों में प्रकाशित हो गई। लीड बैंक के अधिकारियों से पुनः सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उन्हें बताया गया कि उन चार हजार कुओं को यदि दूसरे बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है तो लीड बैंक के लिए ऋण वितरण की भूमिका गौण हो जायेगी। अतः लीड बैंक ने 2500 रुपये प्रति कुएँ के हिसाब से ऋण देना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लिया। यह बात फिर समाचारों में छपी और मैं आश्चर्यचकित रह गया कि राज्य सरकार के स्तर पर ज्यों ही मालूम पड़ा कि जिला स्तर पर हमने बैंकों से ऋण व्यवस्था की है तो उन्होंने राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत तकावी ऋण निरस्त

कर दिया। संक्षेप में इस योजना के माध्यम से हमने अकाल राहत कार्य जो परम्परागत रूप से केवल सार्वजनिक कार्य के लिए जाते थे उनके स्थान पर निजी कार्यों के लिए भी कार्य प्रारंभ करवाये। कच्चे कार्यों की बजाय पक्के कार्यों पर जोर दिया गया।

पर्यवेक्षण के नाम पर भारी भरकम प्रशासनिक मशीनरी की बजाय निजी पर्यवेक्षण पर अधिक विश्वास किया।

वन विन्डो सरविस के नाम पर सभी कार्य एक ही कार्यालय में करने की जो प्रायः बात होती है उसके बजाय हमने यह व्यवस्था की कि हर एजेन्सी को जो भी कार्य करने हों वे काश्तकारों के कूप पर जाकर ही करेंगे चाहे बैंक से ऋण स्वीकृत करना हो अथवा राजस्व अधिकारियों की भूमि गिरवी रखने का कार्य करना हो आदि आदि।

अकाल राहत के नाम पर हजारों अनुत्पादक श्रमिकों को लगाकर जो कार्य सम्पन्न कराये जाते थे और जिनमें कई सारे कार्य पहली वर्षा में ही बह जाते थे उनकी बजाय स्थायी कार्यों पर जोर दिया गया।

समस्त कार्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी में किया गया तथा बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति भी मजमाए आम में की जाती थी तथा ऋण स्वीकृति के लिए समिति में क्षेत्र के विधायक एवं प्रधान

तक भी सम्मिलित थे।

दो सप्ताह की अल्प अवधि में 20 हजार से अधिक प्रार्थना पत्रों का गांव गांव जाकर निपटारा करने का ऐसा माहौल बना जैसा चुनाव में जनप्रतिनिधियों के गांव गांव जाकर सम्पर्क करने से बनता है। गांव के अनपढ़ कृषकों को छोटी-छोटी बात के लिए पता नहीं कितनी बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं परन्तु इस अभियान में तो जो भी चक्कर लगाने पड़े वे बैंक एवं प्रशासनिक अधिकारियों को ही लगाने पड़े।

संक्षेप में, मेरी यह मान्यता निरन्तर प्रबल हुई है कि प्रशासन तंत्र को संवेदनशील बनाया जा सकता है, प्रशासन में आंख मीचकर कार्य करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है, नये संदर्भ में नियमों एवं प्रक्रियाओं की नई व्याख्या की जा सकती है, नियमों की बजाय तर्क और विवेक को प्रधानता दी जा सकती है, प्रशासन को अपने प्रमुख लक्ष्य से भटक कर गौण मामलों में नहीं उलझना चाहिये, जनता और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से योजनाओं में नई जान फूँकी जा सकती है तथा भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही से आरोपित सरकारी तंत्र में सरलीकरण द्वारा कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी राहत दिलाई जा सकती है।